

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 162/2023

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
द्वारकाराम पुत्र नखताराम जति मेगवाल, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बलवंतसिंह पुत्र नेनसिंह 2. मुल्तानसिंह पुत्र नेनसिंह 3. ममता पुत्री दलपतसिंह 4. मीना पुत्री दलपतसिंह 5. मीनाक्षी पुत्री दलपतसिंह 6. हरकंवर पत्नी दलपतसिंह 7. विजयसिंह पुत्र बंशीसिंह 8. हउवा पत्नी बंशीसिंह जाति पुरोहित, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 07.11.2024

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम बलाई के खेत खसरा नम्बर.427/279 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	बलवंतसिंह पुत्र नेनसिंह 10117/39659 ममता पुत्री दलपतसिंह 7588/118977 मुल्तानसिंह पुत्र नेनसिंह 27923/118977 मीना पुत्री दलपतसिंह 7587/118977 मीनाक्षी पुत्री दलपतसिंह 7587/118977 विजयसिंह पुत्र बंशीसिंह 5059/39659 हउवा पत्नी बंशीसिंह 5059/39659 हरकंवर पत्नी दलपतसिंह 7587/118977	बलाई	427/279	11.8977	बा.चा.	-	
2	द्वारकाराम पुत्र नखताराम हिस्सा पूर्ण	बलाई	427/279	0.2429	बा.चा.	-	केसरिया

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव